राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	577/2025	कमलेश कुमार यादव	प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री सलीम खान
2.	584/2025	राहुल टोडावता	प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	
3.	585/2025	धमेन्द्र सिंह डोडवाडिया	प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	

आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थिति :–
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित तीनों अपीलों में आलोच्य आदेशों को समान आधार पर चुनौती दी गयी है। अतः तीनों अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या–577/2025 कमलेश कुमार यादव बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर भूतेडा, सहायक निदेशक कृषि(वि.), झोटवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण मु. महूकलां, सहा.निदे.कृषि (वि.) गंगापुरसिटी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। हम पाते है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में निम्न शर्त अंकित है :–

''यह आदेश माननीय मंत्री, कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा व जन अभियोग निराकरण विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार से अनुमोदित है।''

5. हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना-पत्र पर खारिज की जाती है।

7. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 577/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष